



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-609 -कार्य/चौदह-पाकालि/2020-8(43)-के/2019

दिनांक: 15 मई, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय : M/s Asian Galaxy Pvt. Ltd., Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (सा० प्र०), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ के पत्र सं०-323/अधी०अभि०(सा० प्र०)/म०वि०वि०नि०लि० दिनांक 14.02.2020 जो कि M/s Asian Galaxy Pvt. Ltd., Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अधीक्षण अभियन्ता (सा० प्र०) के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(आर० के० गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)

संख्या-609-(I)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र सं०-323/अधी०अभि०(सा० प्र०)/म०वि०वि०नि०लि० दिनांक 14.02.2020 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

आर० के० गुप्ता
(आर० के० गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)

संख्या-609-(II)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तपुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉग-793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंग्स वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लि0, ब्लाक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रुरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता- 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाय ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर0 के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)



Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Head Office: 4 A. Gokhale Marg,
Lucknow

पत्रांक 323/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

दिनांक: 14/02/2020

Sub: M M/s Asian Galaxy Pvt. Ltd., Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

संयुक्त सचिव (कार्य)
उ0प्र0पा0का0लि0,
14, अशोक मार्ग,
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं. 451
दिनांक: 14/02/2020
पत्रांक: 323/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

कृपया उपरोक्त विषयक आपको निम्नवत् अवगत कराना है।

1. M/s Asian Galaxy Pvt. Ltd., Delhi द्वारा निविदा विशिष्ट सं0-मेडको/1907/2016 के अन्तर्गत AB Cable of 3cx120+1x95+1x16 Sq.mm., निविदा विशिष्ट सं0-मेडको/1722/2016 के अन्तर्गत LT XLPE Cable Size 3.5x240 Sq.mm., निविदा विशिष्ट सं0-मेडको/1724/2016 के अन्तर्गत LT XLPE Cable Size 1x630 Sq.mm. तथा निविदा विशिष्ट सं0-मेडको/1723/2016 के अन्तर्गत LT XLPE Cable Size 1x240 Sq.mm. की आपूर्ति सामग्री के जाँच में असफल पाये जाने पर इस फर्म को इस कार्यालय के पत्र संख्या -1869/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/ दिनांक 14.10.2019 के द्वारा तीन वर्ष के लिये व्यापार निषिद्ध कर दिया गया था।
2. तदोपरान्त फर्म द्वारा, विभाग द्वारा व्यापार निषिद्ध किये जाने के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में वाद दायर किया गया था।
3. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नवत् है:-

"In view of above we are of the considered view that the opposite parties have failed to provide an opportunity of hearing to the petitioner before the impugned order so far as it debar the petitioner for doing business for a period of three years.

Ms. Aprajita Bansal, learned counsel for opposite parties, at this stage, submits that the opposite parties may be provided an opportunity to pass a fresh order in this regard.

In this view of the matter, with the consent of parties' counsel, the writ petition is disposed of finally, at this stage.

The impugned order dated 14.10.2019 is hereby set-aside so far as it relates to debarring of the petitioner for a period of three years. The opposite parties would be at liberty to pass a fresh order after giving opportunity of hearing to the petitioner in this regard."

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ ने उपरोक्त पारित आदेश से, इस कार्यालय के पत्र संख्या-1869/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/ दिनांक 14.10.2019 के द्वारा निर्गत व्यापार निषिद्ध आदेश निरस्त कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में फर्म को पुनः अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है जिसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

(एस0एम0 गर्ग)

अधीक्षक अभियन्ता(सा0प्र0)

पत्रांक /अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, मा0वि0वि0नि0लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वा0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
3. निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सा0प्र0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, लखनऊ।

(एस0एम0 गर्ग)

अधीक्षक अभियन्ता(सा0प्र0)

8/4/20
28/2/2020

34/अधीअभि(सा0प्र0)

27/2/2020

सं0 42/अधीअभि(सा0प्र0)/मविविनिलि/

20

ASIA